अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/स्थायी निर्देश

उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, महानगर लखनऊ–226006
फोन +91–522–2337452, सीयूजी +91–9454400122, फैक्स +91–522–2337453, ई–मेल pac@uppac.net वेब uppolice.up.nic.in

संख्याःपी.ए.सी.–I–निर्देश–2013

दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 15 2013

स्थायी आदेश संख्याः 09 /2013

विषय :– पीएसी के अराजपत्रित कर्मियों के पीएसी मुख्यालय में नियुक्त उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश होने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

सेवा में,

1. **समस्त सेनानायक,**
   पीएसी वाहिनी उ0प्र0।
2. **समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,**
   पीएसी अनुभाग, उ0प्र0।
3. **समस्त पुलिस महानिरीक्षक,**
   पीएसी जोन, उ0प्र0।
4. **समस्त दलनायक,**
   पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।

पीएसी मुख्यालय में नियुक्त उच्चाधिकारियों के समक्ष पीएसी कर्मी सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये उपस्थित हो रहे है। जिन मामलों में पीएसी कर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, उनमें इनकी समस्याओं से वाहिनी स्तर से कोई टिप्पणी नहीं दी जाती है, जिसमें मुख्यालय स्तर पद उनकी समस्या का आंकलन करने में कठिनाई होती है।

2– आप सभी इस मत से सहमत होंगे कि किसी भी कर्मी की समस्या के बारे में उसके निकटतम पर्यवेक्षण अधिकारी को सर्वाधिक जानकारी होंने की अपेक्षा की जाती है। इस दृष्टिकोंण से यह उचित होगा कि वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने वाले कर्मियों को अनुमति प्रदान करने के साथ ही उनकी समस्याओं के बारे में तथ्यात्मक टिप्पणी दलनायक/प्रभारी दलनायक एवं सेनानायक/प्रभारी सेनानायक द्वारा अवश्य अंकित की जाये जिससे मुख्यालय स्तर पर उसकी समस्या का वास्तविक रूप से आंकलन करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(रंजन द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः समस्त राजपत्रित अधिकारी, उ0प्र0 पीएसी मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।